18-19

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स – 2263412, Email – highereducation.cg@gmail.com

क्र0 364 / 153 / आउशि / बजट / 19 रायपुर दिनांक, 28.02.2019

प्रति

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
....
छत्तीसगढ़

विषय :– मांग संख्या–44 आयोजना के अंतर्गत शास0 महा0 को वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता एवं कार्यालय व्यय हेतु बजट आबंटन बाबत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आपके महाविद्यालयों को संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाये अनुसार आयोजना अंतर्गत बजट आबंटन निम्न शर्तों के अधीन प्रदाय किया जा रहा है :–

1. महाविद्यालयों को आबंटित राशि का विकलनीय बजट शीर्ष संलग्न प्रपत्र में अंकित है, तदानुसार राशि कोषालय से आहरित किया जावें।
2. संलग्न बजट आबंटन प्रपत्र में उल्लेखित बजट शीर्ष का अवलोकन करें । जिस बजट शीर्ष के अंतर्गत आपको राशि आबंटित की गई है, उन मदों से राशि आहरण के लिये कोषालय में देयक प्रस्तुत करने के पूर्व देयक पर बजट शीर्ष (आयोजना) स्पष्ट किया जावे। ताकि व्यय के आंकड़े महालेखाकार द्वारा सही बजट शीर्ष प्रविष्टि किया जा सके।
3. किसी भी मद में अतिरिक्त आबंटन की मांग करते समय औचित्य सहित पूर्ण प्रस्ताव, बजट शीर्ष का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे।
4. स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में न हो तथा स्वीकृत आवंटन किसी भी स्थिति में लैप्स न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
5. कोषालयीन कम्प्यूटराइजेशन ई–कोष परियोजना तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट की प्रविष्टि कार्यालय आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर में कर दी गई है जिसे इंटरनेट से देखकर देयक कोषालय में प्रस्तुत करें । यदि किसी मद की प्रविष्टि गलत अथवा त्रुटिपूर्ण हो तो इसकी सूचना अपर संचालक / संयुक्त संचालक (व्ही.) को तत्काल दी जावे।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)

G. P. G. COLL. ... 2162 18/3/19

HC
C&C
18.3.19

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र0 344 / 119 / आउशि / बजट / 19 रायपुर दिनांक 11-2-19

1973
12.2.19

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय,

..............................छत्तीसगढ़

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बी.पी.एल. बुक बैंक योजना के तहत बजट आबंटन बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्ष 2018-19 के लिये आपके महाविद्यालय को संलग्न सूची में महाविद्यालय के सम्मुख दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम तथा विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत बजट आबंटन कर बी.पी.एल. बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें क्रय करने की अनुमति दी जाती है।

सत्र 2018-19 के लिये संशोधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुये पुस्तकें क्रय की जावें। उक्त व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा, (03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें - 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) - 5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना - 04- कार्यालय व्यय - 004- पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकायें आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

कृपया कार्यवाही के पश्चात राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लाभान्वित छात्रों की जानकारी भी कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (व्ही.)
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर

पृ0 क्र0........../......./आउशि/बजट/19 रायपुर दिनांक.....................

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर रायपुर।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय, अटल नगर रायपुर।
4. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
..................................की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक (व्ही.)
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर

Lib.
OC
12.02.19

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2263412, फैक्स – 2263412, Email – highereducation.cg@gmail.com

क्र0 180 /07/आउशि/बजट/18 रायपुर, दिनांक 05.09.2018

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय बी0सी0एस0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय

धमतरी जिला – धमतरी (छ.ग.)

विषय :– मांग संख्या–44 आयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने संबंधी ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय में कार्यरत श्रीमती श्रीदेवी चौबे, प्राध्यापक के लंबित देयक अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आवंटन प्रदाय किया जाता है:–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में
	HEAD 44-2202-03-103-0101-0798	
		01-015
1	शासकीय बी0सी0एस0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी जिला – धमतरी (छ.ग.)	98545/-

2. आवंटन का अभिप्राय भुगतान की स्वीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 व शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनिवार्यतः करते हुये संबंधितों के द्वारा किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत नियमानुसार ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या नियम विरूद्ध आहरण/भुगतान किये जाने पर कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी।

3. उक्त आवंटन मांग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202 सामान्य शिक्षा–(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)–सरकारी कालेज और संस्थायें–0101–राज्य आयोजना (सामान्य) –798– कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय–01–वेतन भत्ते – 015–चिकित्सा प्रतिपूर्ति आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (वी.)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

पृ क्रमांक 181/07/आउशि/बजट./18 रायपुर, दिनांक 05.09.2018

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
2. आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, रायपुर
3. संबंधित कोषालय अधिकारी

..................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक (वी.)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं 0771–2203412, फैक्स – 2203412, Email – highereducation.cg@gmail.com

क्र0. 04 / 02 / आउशि / बजट / 18 रायपुर दिनांक 10/04/18

G.C.G. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.) No. 176 02-05-18

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
....
छत्तीसगढ़

विषय :– मांग संख्या–44 आयोजना के अंतर्गत शास0 महा0 को वेतन भत्ते हेतु बजट आबंटन बावत।

संदर्भ :– वित्त विभाग का पत्र क्र. 01 / वित्त / च–4 / 2018 दिनांक 02.04.2018

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक के लिये संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाये अनुसार आयोजना अंतर्गत बजट आबंटन निम्न शर्तो के अधीन प्रदाय किया जा रहा है :–

1. महाविद्यालयों को आबंटित राशि का विकलनीय बजट शीर्ष संलग्न प्रपत्र में अंकित है, तदानुसार राशि कोषालय से आहरित किया जावें।
2. संदर्भित पत्र में निर्देशित व्यय सीमा का पालन सुनिश्चित करें (संदर्भित पत्र वित्त विभाग के वेब साईड www.cgfinance.nic.in में उपलब्ध है।
3. किसी भी मद में अतिरिक्त आबंटन की मांग करते समय औचित्य सहित पूर्ण प्रस्ताव, बजट शीर्ष का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे।
4. इस आबंटन पत्र अनुसार संबंधित डीडीओ कोड में प्रविष्ट राशि की मदवार मिलान कर लिया जावें। यदि किसी मद की प्रविष्टि गलत अथवा त्रुटिपूर्ण हो तो इसकी सूचना अपर संचालक (वित्त) / सहायक संचालक (वित्त) को तत्काल दी जावे।
5. भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावें।
6. छ.ग. वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 8, 9, 16 तथा छ.ग. कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम–53 व 284 का पालन किया जावें।
7. कोषालय से आहरित राशि / लेखा शीर्ष का मिलान किया जाकर मासिक व्यय पत्रक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्यरूप से इस संचालनालय को उपलब्ध कराया जावें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

10/4/18

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)

H.C. Budget
02.05.18

19-20

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र0. 16/04/आउशि/बजट/19

रायपुर दिनांक 16.04.2019

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
....
छत्तीसगढ़

विषय :- मांग संख्या-44 आयोजना के अंतर्गत शास0 महा0 को वेतन भत्तो व अत्यावश्यक व्यय हेतु बजट आवंटन बाबत।

संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र क्र. 01/04-04697/वित्त/ब.-4/2019 दिनांक 01.04.2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के लिये संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाये अनुसार आयोजना अंतर्गत बजट आवंटन निम्न शर्तो के अधीन प्रदाय किया जा रहा है :-

1. महाविद्यालयों को आवंटित राशि का विकलनीय बजट शीर्ष संलग्न प्रपत्र में अंकित है, तदानुसार राशि कोषालय से आहरित किया जावें।
2. संदर्भित पत्र में निर्देशित व्यय सीमा का पालन सुनिश्चित करें (संदर्भित पत्र वित्त विभाग के वेब साईड www.cgfinance.nic.in में उपलब्ध है।
3. किसी भी मद में अतिरिक्त आवंटन की मांग करते समय औचित्य सहित पूर्ण प्रस्ताव, बजट शीर्ष का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे।
4. इस आवंटन पत्र अनुसार संबंधित डीडीओ कोड में प्रविष्ट राशि की मदवार मिलान कर लिया जावें। यदि किसी मद की प्रविष्टि गलत अथवा त्रुटिपूर्ण हो तो इसकी सूचना अपर संचालक (वित्त)/सहायक संचालक (वित्त) को तत्काल दी जावे।
5. भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावें।
6. छ.ग. वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 8, 9, 16 तथा छ.ग. कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम-53 व 284 का पालन किया जावें।
7. कोषालय से आहरित राशि/लेखा शीर्ष का मिलान किया जाकर मासिक व्यय पत्रक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्यरूप से इस संचालनालय को उपलब्ध कराया जावें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771--2263412, फैक्स -- 2263412, Email – highereducation.cg@gmail.com

20-21

क्र0 362/79/आउशि/बजट/2021

रायपुर दिनांक 15/2/21

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.)

विषय :-- मांग संख्या--44 आयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने संबंधी ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय में कार्यरत श्रीमती पुष्पा ई.आर.वर्गीस, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के लंबित देयक अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जाता है:--

क्र.	महाविद्यालय का नाम	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में
	HEAD 44-2202-03-103-0101-0798	01-015
1	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.)	1,97,767/-

2. आवंटन का अभिप्राय भुगतान की स्वीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 व शासन द्वारा समय--समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनिवार्यतः करते हुये संबंधितों के द्वारा किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत नियमानुसार ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या नियम विरूद्व आहरण/भुगतान किये जाने पर कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी।

3. उक्त आवंटन मांग संख्या--44--उच्च शिक्षा--2202 सामान्य शिक्षा--(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)--सरकारी कालेज और संस्थाये--0101--राज्य आयोजना (सामान्य) --798-- कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय--01--वेतन भत्ते -- 015--चिकित्सा प्रतिपूर्ति आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

पृ क्रमांक 363/79/आउशि/बजट./2021
रायपुर, दिनांक 15/2/2021

प्रतिलिपिः--

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
2. आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, रायपुर
3. संबंधित कोषालय अधिकारी

.................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

15/02/2021

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक–सी, 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2263412,फैक्स–2263412, Email-highereducation.cg@gmail.com

क्रमांक 347/92/आ.उ.शि./बजट–योजना/2021 नवा रायपुर, दिनांक 10/02/2021

1208
10/2/21

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी,
जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़

विषय– वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या –44 आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन, व्यय/क्रय की स्वीकृति दी जाती है:–

क	शीर्ष विवरण	मॉग संख्या	मद	आवंटित राशि (रूपयों में)
1	44-2202-03-103-0101-0798	01 वेतन	001 वेतन	6069000
2			003 महंगाई भत्ता	728000
3			006 मकान किराया	87000
4		02 मजदूरी	004 अन्य आक.मजदूरी	10000
5		03 यात्रा भत्ता	001 दौरा आदि	10000
6		04 कार्यालय व्यय	002 टेलीफोन	10000
7			005 बिजली	25000
8			007 लेखन सामग्री	10000
9		10 विशेष सेवाओं हेतु व्य.	009 संबद्धता शुल्क	50000

उपरोक्त व्यय मांग संख्या –44 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, 03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103 सरकारी कॉलेज और संस्थायें 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 798 कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आवंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नही किया जावें एवं सामग्री क्रय करते समय छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों एवं वित्तीय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जावें। भण्डार क्रय नियमों के उल्लघन की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही प्राचार्य की होगी।
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
नवा रायपुर, दिनांक 10/02/2021

पृक्रमांक 348/92/आ.उ.शि/बजट–योजना/21
प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन , रायपुर।
3. सम्बन्धित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
...............की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

15.02.21

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक--सी, 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इंद्रावती भवन, अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2263412,फैक्स-2263412, Email-highereducation.cg@gmail.com

क्रमांक 347/92/आ.उ.शि/बजट--योजना/2021 नया रायपुर, दिनांक 10/02/2021

प्रति,
प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी,
जिला -- धमतरी, छत्तीसगढ़

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2020--21 हेतु मांग संख्या --44 आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आबंटन।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020--21 के लिए आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आबंटन व्यय/क्रय की स्वीकृति दी जाती है:--

क्र	शीर्ष विवरण	मांग संख्या	मद	आबंटित राशि (रुपयों में)
1	44-2202-03-103-0101-0798	01 वेतन	001 वेतन	1165000
2			003 महंगाई भत्ता	650000
3			006 मकान किराया	45000
4		03 यात्रा भत्ता	001 दौरा आदि	5000
5			002 स्थानांतरण	10000
6		10 विशेष सेवाओं हेतु व्य.	009 संबद्धता शुल्क	53000

उपरोक्त व्यय मांग संख्या --44 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, 03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103 सरकारी कॉलेज और संस्थायें 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 798 कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आबंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नही किया जावे एवं सामग्री क्रय करते समय छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों एवं वित्तीय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जावे। भण्डार क्रय नियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही प्राचार्य की होगी।
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 348/92/आ.उ.शि/बजट--योजना/21 नया रायपुर, दिनांक 10/02/2021
प्रतिलिपिः--

1. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर।
3. सम्बन्धित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स – 2263412, Email – highereducation.cg@gmail.com

क्र0 288/119/आउशि/बजट/2020 रायपुर दिनांक 23/12/020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ

274
25-12-20

विषय :– शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्रय हेतु आवंटन जारी करने बाबत् वर्ष 2020–21

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक 585/आउशि/व.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगें ।

उक्त व्यय मांग संख्या – 64– अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना–2202– सामान्य शिक्षा– (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा– 103– सरकारी कालेज एवं संस्थाये – 0103– अनुसूचित जतियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय–11– छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ–004– निशुल्क पुस्तकों का व्यय– वर्ष 2020–21 के अंतर्गत विकलनीय होगा । संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी/पुस्तक हेतु दर्शाये कॉलम 19 में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

टीप :– वर्ष 2019–20 में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के संख्या के आधार पर राशि आवंटित किया गया है। अतः वर्तमान वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के आधार पर व्यय किया जावें । यदि छात्र–छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई हो तो आवश्यक राशि हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करें एवं छात्र–छात्रों की संख्या में कमी हुई हो तो शेष राशि को अनिवार्यरूप से समर्पित करें।

संलग्न – परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (वित्त) 23/12/020
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ० क०. 289/119/आउशि/बजट/20 रायपुर दिनांक 23/12/20

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर ।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक संचालक (वित्त) 23/12/020
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2020-21\LETTER docx 192

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र0 290 / 119 / आउशि / बजट / 2020 रायपुर दिनांक 23/12/2020

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

छत्तीसगढ

778
24.12.20

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्रय हेतु आवंटन जारी करने बाबत् वर्ष 2020-21

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/व.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगें ।

उक्त व्यय मांग संख्या - 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थाये - 0102- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक /स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-013- अन्य हित लाभ वर्ष 2020-21 के अंतर्गत विकलनीय होगा । संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी/पुस्तक हेतु दर्शाये कॉलम 19 में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

टीप :- वर्ष 2019-20 में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संख्या के आधार पर राशि आवंटित किया गया है। अतः वर्तमान वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के आधार पर व्यय किया जावें । यदि छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई हो तो आवश्यक राशि हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करें एवं छात्र-छात्रों की संख्या में कमी हुई हो तो शेष राशि को अनिवार्यरूप से समर्पित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

23/12/2020
सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ0 क्र0. 291 / 119 / आउशि / बजट / 20 रायपुर दिनांक..............................

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर ।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग. ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

23/12/2020
सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2020-21\LETTER docx 193

770
22/12/20

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक सी–30, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2203411, 2203410 ई–मेल –slqaccg@gmail.com

क्र.22 /आ.उ.शि./रा.रत.गु.आ.प्र./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक17/12/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त मेंटी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषयः– नैक से मूल्यांकन विषयक।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 202/92/आ.उ.शि./बजट–योजना/2020 नवा रायपुर, दिनांक 07.11.2020।

---000---

उपरोक्त सदर्भित पत्रानुसार मेंटी महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराए जाने हेतु आवंटन स्वीकृत किया गया है। सभी मेंटी महाविद्यालय नैक से मूल्यांकन कराए जाने हेतु SSR पूर्ण करने की कार्यवाही अनिवार्यतः सुनिश्चित करें, जिससे कि फरवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में आपके महाविद्यालय का IIQA नैक में जमा किया जा सके।

आबंटित राशि का उपयोग निम्नानुसार सुनिश्चित करें:–

क्र.	मद	आबंटित राशि रू.	उपयोग
	009 विशेष सेवाओ हेतु व्यय (नैक मूल्यांकन)	50,000/–	IIQA का शुल्क, महाविद्यालय का वेबसाइट निर्माण/अपडेट करना/नवीनीकरण/विभिन्न बोर्ड/नेम प्लेट/इन्टरनेट सेवा/वाइफाई एवं अन्य आकस्मिक व्यय
	001 दौरा आदि (नैक मूल्यांकन)	20,000/–	केवल मेंटर–मेंटी योजना के तहत किए जाने वाले यात्रा व्यय

आबंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जावे एवं छत्तीसगढ़ शासन में भंडार क्रय नियमों एवं वित्तीय नियमों का पालन करना सुनिश्ति करें।

17/12/2020

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त उच्च शिक्षा
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्र.23./आ.उ.शि./रा.रत.गु.आ.प्र./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक17/12/2020

प्रतिलिपिः–

क्षेत्रीय, अपर संचालक, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं अंबिकापुर को सूचनार्थ।

प्राचार्य, समस्त मेंटर महाविद्यालय को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि वे नियत समय–सीमा में मेंटी महाविद्यालय का IIQA जमा कराने हेतु सहयोग करें।

आयुक्त उच्च शिक्षा
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक–सी, 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2263412,फैक्स–2263412, Email-highereducation.cg@gmail.com

क्रमांक 177/92/आ.उ.शि/बजट–योजना/2020 नवा रायपुर, दिनांक 26/10/2020

प्रति,

प्राचार्य,
बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी,
जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या –44 आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आबंटन।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आबंटन, व्यय/क्रय की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र.	शीर्ष विवरण	मॉग संख्या	मद	आवंटित राशि (रूपयों में)
1	44-2202-03-103-0101-0798	03 यात्रा भत्ता	001 दौरा आदि	10000
2		04 कार्यालय व्यय	001 डाकतार	2000
			002 टेलिफोन	10000
			005 बिजली	100000
			006 वर्दियॉ	10000
			007 लेखन सामग्री	5000

उपरोक्त व्यय मांग संख्या –44 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, 03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 03 सरकारी कॉलेज और संस्थायें 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 798 कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आबंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नही किया जावें, एवं सामग्री क्रय करते समय छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों एवं वित्तीय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जावें। बिजली एवं वर्दी मद में प्राप्त राशि का उपयोग केवल बिजली बिल के भुगतान एवं वर्दी क्रय हेतु ही किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही प्राचार्य की होगी। (आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 178/92/आ.उ.शि/बजट–योजना/20 नवा रायपुर, दिनांक 26/10/2020

प्रतिलिपीः–

1. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर।
3. सम्बन्धित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

21-22

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन न. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र/74/78/आउशि/बजट/2021 रायपुर दिनांक 23/9/21

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :- **शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्रय हेतु आवंटन जारी करने बाबत् वर्ष 2021-22**

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/व.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगें ।

उक्त व्यय मांग संख्या - 64- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थाये - 0103- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-004- निशुल्क पुस्तकों का व्यय- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विकलनीय होगा ! संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी/पुस्तक हेतु दर्शाये कॉलम 18 में आवंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

टीप :- वर्ष 2020-21 में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संख्या के आधार पर राशि आवंटित किया गया है। अतः वर्तमान वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के आधार पर व्यय किया जावें । यदि छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई हो तो आवश्यक राशि हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करें एवं छात्र-छात्रों की संख्या में कमी हुई हो तो शेष राशि को अनिवार्यरूप से समर्पित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

22/9/21
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्र0. 175/78/आउशि/बजट/21 रायपुर दिनांक 23/9/21

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर ।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

22/9/21
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं 0771 2203412 फैक्स – 2203412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र./79 26 /आउशि/बजट/2020 रायपुर दिनांक 23/9/21

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

छत्तीसगढ़

विषय: शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्रय हेतु आबंटन जारी करने बाबत् वर्ष 2021–22

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आबंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो./07 दिनांक [illegible] के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या -- 41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2202– सामान्य शिक्षा– (03) [illegible] और उच्च शिक्षा– 103– सरकारी कालेज एवं संस्थाये -- 0102– अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक /स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय–11– छात्रवृत्तियां, वृत्तिका एवं अन्य हित लाभ–013– अन्य हित लाभ वर्ष 2021–22 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी/पुस्तक हेतु दर्शाये कॉलम 18 में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

टीप – वर्ष 2020–21 में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के संख्या के आधार पर राशि आबंटित किया गया है अतः वर्तमान वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के आधार पर व्यय किया जावे। यदि छात्र–छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई हो तो आवश्यक राशि हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करे एवं छात्र–छात्रों की संख्या में कमी हुई हो तो शेष राशि को अनिवार्यरूप से समर्पित करें।

संलग्न – परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

27/9/21

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्र. 15 / 78 /आउशि/बजट/21 रायपुर दिनांक 23/9/21

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

27/9/21

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2021-22\LETTER.docx 117

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक--सी, 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771- 2203412,फैक्स- 2203412, Email-highereducation.cg@gmail.com

क्रमांक 165 / 03 / आ.उ.शि / बजट--योजना / 2021 — नवा रायपुर, दिनांक 16 / 09 / 2021

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़

धमतरी

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2021--22 हेतु मांग संख्या --44 आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021--22 के लिए आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन, व्यय / क्रय की स्वीकृति दी जाती है:--

क्र.	शीर्ष विवरण	मॉग संख्या	मद	आवंटित राशि (रूपयों में)
1	44- 2202-03-103-0101-0798	03 यात्रा भत्ता	001 दौरा आदि	10000
2		04 कार्यालय व्यय	001 डाकतार	10000
			002 टेलिफोन	20000
			005 बिजली	100000
			006 वर्दियॉ	10000
			007 लेखन सामग्री	5000
3		33 औजार संयंत्र	003 [illegible] / संधारण पर व्यय	5000

उपरोक्त व्यय मांग संख्या --44 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, 03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103 सरकारी कॉलेज और संस्थायें 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 798 कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आबंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नही किया जावें, एवं सामग्री क्रय करते समय छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों एवं वित्तीय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जावें। बिजली एवं वर्दी मद में प्राप्त राशि का उपयोग केवल बिजली बिल के भुगतान एवं वर्दी क्रय हेतु ही किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही प्राचार्य की होगी। (आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

16/9/21

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 166 / 03 / आ.उ.शि / बजट--योजना / 21 — नवा रायपुर, दिनांक 16 / 09 / 2021

प्रतिलिपि:--

1. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन , रायपुर।
3. सम्बन्धित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

16/9/21

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

25.09.21

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक सी 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

फोन नं 0771 2203412, फैक्स 2203412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्रं ..../आउशि/बजट/2021 रायपुर दिनांक 20/9/2021

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़

विषय :- मांग संख्या 44 आयोजना के अंतर्गत शास० महा० को नैक मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त आवंटन ।

उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार नैक मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार आवंटन प्रदाय किया जाता है :-

वित्तीय वर्ष 2021—22 मांग संख्या 44 आयोजना

क्रं.	शीर्ष विवरण HEAD 44-2202-03-103-0101-7751-10-009 महाविद्यालय का नाम	राशि रुपयों में		
		IIQA हेतु आवंटित राशि	SSR हेतु आवंटित राशि	कुल राशि
1	शासकीय के०एल०एस० महाविद्यालय बागबहरा	29500	118000	147500
2	राजा वीरेंदर बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरईपाली	29500	118000	147500
3	श्री० जयदेव सत्पथी शासकीय महाविद्यालय बसना	29500	118000	147500
4	शासकीय चंद्रपाल डडसेना महाविद्यालय पिथौरा	29500	118000	147500
5	शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर	29500	118000	147500
6	शासकीय दू.व. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर	29500	118000	147500
7	बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी	29500	118000	147500
8	आचार्य पंथ श्री गंध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा	29500	118000	147500
9	राजमाता विजय राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा	29500	118000	147500
10	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पांडातराई	29500	118000	147500
11	महंत रामजानकी शरणदास वैष्णव शासकीय महाविद्यालय पिपरिया	29500	118000	147500
12	शासकीय कुन्जबिहारी चौबे महाविद्यालय लालबहादुरनगर	29500	118000	147500
13	वा० वा० पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग	29500	118000	147500
14	चंदूलाल चंद्राकर शासकीय महाविद्यालय पाटन	29500	118000	147500
15	शासकीय पं० जे०एल०एन० कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा	29500	[illegible]	147500
16	शासकीय महाविद्यालय बोरी	29500	[illegible]	147500
17	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव	29500	[illegible]	147500

22-23

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2203412, फैक्स - 2203413, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र. 359/88/आउशि/बजट/2022 रायपुर दिनांक 02/01/2023

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.)

विषयः— शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति छात्र—छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्रय हेतु आबंटन जारी करने बाबत् वर्ष 2022—23

विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति छात्र—छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक का आबंटन प्रदाय किया जाता है ।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 686/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगें ।

क्र.	शीर्ष विवरण	स्नातक स्तर			स्नातकोत्तर स्तर			महायोग (राशि रूपये में)
		छात्र संख्या	स्टेशनरी हेतु आबंटन	पुस्तक हेतु आबंटन	छात्र संख्या	स्टेशनरी हेतु आबंटन	पुस्तक हेतु आबंटन	
1	41-2202-03-103-0102-9805-11-013	723	36150	0	143	7150	0	43300
2	64-2202-03-103-0103-4699-11-004	278	13900	0	45	2250	0	16150

उपरोक्त व्यय मांग संख्या — 41— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—2202— सामान्य शिक्षा— (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा— 103— सरकारी कालेज एवं संस्थाये — 0102— अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय—11— छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ—013— अन्य हित लाभ एवं मांग संख्या — 64— अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना—2202— सामान्य शिक्षा— (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा— 103— सरकारी कालेज एवं संस्थाये — 0103— अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय—11— छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ—004—निशुल्क पुस्तकों का व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 359/88/आ.उ.शि/बजट/22 नवा रायपुर, दिनांक 02/01/2023

प्रतिलिपिः—

1. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन , रायपुर।
3. सम्बन्धित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

..............की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक–सी, 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं 0771–2203412 फैक्स–2203412 Email-highereducation.cg@gmail.com

क्रमांक 283 / 50 / आ.उ.शि / बजट / 2022 — नवा रायपुर, दिनांक 02 / 11 / 2022

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

विषय:– वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मांग संख्या –44 आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन व्यय / क्रय की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र	शीर्ष विवरण	मांग संख्या	मद	आवंटित राशि (रुपयों में)
1	44-2202-03-103-0101-0798-5671	04 कार्यालय व्यय 5671–बी.पी.एल.बुक बैंक योजना	004 पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	200000

उपरोक्त व्यय मांग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा, (03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–103–सरकारी कॉलेज और संस्थायें –0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–5671–बी.पी.एल.बुक बैंक योजना–04–कार्यालय व्यय–004–पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएँ आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आवंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जाये एवं सामग्री क्रय करते समय छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमो एवं वित्तीय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही प्राचार्य की होगी।
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
नवा रायपुर, दिनांक 02 / 11 / 2022

पृ.क्रमांक 284 / 50 / आ.उ.शि / बजट / 22
प्रतिलिपी:–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर।
3. सम्बन्धित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

..........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं 0771–2263412, फैक्स – 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

//आदेश//

रायपुर दिनांक 17/10/2[illegible]

क्र. 2[illegible] /बजट/2022, छ.ग. राज्य के महाविद्यालयों में खेलकूद गतिविधियों के आयोजन एवं वार्षिक कैलेण्डर बनाने हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक .... मे लिये गये निर्णयानुसार राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कालम 4 मे उल्लेखित निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को निम्नानुसार बजट आंवटन प्रदाय किया जाता है:–

क्र.	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (डी डी ओ कोड)	खेल का नाम	राज्य स्तरीय टुर्नामेंट आयोजन स्थल	आवंटित राशि रूपयों में				
				खेलकूद आयोजन हेतु	खिलाड़ियों की संख्या	गणवेश हेतु (500 रू. प्रति खिलाडी के मान से)	प्रतिक चिन्ह	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शास.पी.जी.महाविद्यालय नारायणपुर	व्हालीवाल (पु)	शास. पी.जी. महाविद्यालय नारायणपुर	24000	120	60000	4000	88000
2	शास.एन.पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय रायपुर।	व्हालीवाल (म.)	विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।	24000	120	60000	4000	88000
3	शास.दिग्विजय महा. राजनांदगांव	हैण्डवाल (पु.)	शास.दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव	24000	120	80000	4000	108000
4	शास.एन.पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय रायपुर।	हैण्डवाल (म.)	विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।	24000	120	80000	4000	108000
5	शास.एन.पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय रायपुर।	फुटवाल (पु.)	विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।	24000	200	100000	4000	128000
6	शास.विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	वास्केटवाल (पु.)	एल.सी.आई.टी. महाविद्यालय, बिलासपुर	16000	120	60000	4000	80000
7	शास.एन.पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय रायपुर।	वास्केटवाल (म.)	विप्र कला/वाणिज्य महा. रायपुर।	16000	120	60000	4000	80000
8	शास.दिग्विजय महा. राजनांदगांव	शतरंज (म./पु.)	शास. महाविद्यालय डोंगरगढ़।	24000	54+40	47000	8000	79000
9	शास.पी.जी.महाविद्यालय दुर्ग	बैडमिंटन (म./पु.)	श्री स्वरूपानंद महाविद्यालय भिलाई (हुडको)	32000	60+40	50000	8000	90000
10	शास.एन.पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय रायपुर।	टेवल टेनिस (म./पु.)	विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।	24000	54+40	47000	8000	79000
11	शास.पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	क्रिकेट (पु)	शास. पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	60000	160	80000	4000	144000
12	शास.जे.पी. महाविद्यालय	कवड्डी (पु)	शास. जे.पी. महाविद्यालय	16000	120	60000	4000	80000

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com, Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 211 / 03 / बजट / आउशि / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.08.2022

प्रति,

प्राचार्य,
बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय पीजी महाविद्यालय,
धमतरी (छ.ग.)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मांग संख्या–44 आयोजना अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन जारी करने बावत् ।

---000---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय से प्राप्त मांग पत्र अनुसार आपके महाविद्यालय को मांगानुसार अतिरिक्त आवंटन प्रदाय किया जाता है :–

क्र.	शीर्ष विवरण	मांग संख्या	मद	आवंटित राशि (रूपये में)
1	44-2202-03-103-0101-0798	01–वेतन भत्ते मद	014 अन्य भत्ता	32000
2			020 त्यौहार अग्रिम	8000
3		03–यात्रा भत्ता	001 दौरा आदि	10000
4		04–कार्यालय व्यय	005 बिजली	100000
5			006 वर्दियां	10000
6			007 लेखन सामग्री	5000

उपरोक्त व्यय मांग संख्या–44 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, 03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103 सरकारी कॉलेज और संस्थायें 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 798 कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आवंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जावें एवं सामग्री कय करते समय छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार कय नियमों एवं वित्तीय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जावें। भण्डार कय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्णण जवाबदेही प्राचार्य की होगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक 212 / 03 / वजट / आउशि / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.08.2022

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर
3. संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लाक–सी, 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2263412,फैक्स–2263412, Email-highereducation.cg@gmail.com

क्रमांक 17/02/आ.उ.शि/बजट/22 नवा रायपुर, दिनांक 19/04/2022

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
धमतरी जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मांग संख्या –44 आयोजना मद के अन्तर्गत वेतन भत्तो व कार्यालयीन व्यय मद में बजट आबंटन।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार बजट आवंटन, व्यय/क्रय की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र	शीर्ष विवरण	माँग संख्या	मद	आवंटित राशि (रूपयों में)
1	44-2202-03-103-0101-0798	01 वेतन	001 वेतन	68300000
2			003 महंगाई भत्ता	8196000
3			006 मकान किराया	1319000
4			014 अन्य व्यय	113000
5			020 त्योहार अग्रिम	80000
6		03 यात्रा भत्ता	001 दौरा आदि	10000
7		04 कार्यालय व्यय	001 डाकतार	5000
8			002 टेलीफोन	10000
9			005 बिजली	20000
10			007 लेखन सामग्री	10000

उपरोक्त व्यय मांग संख्या –44 लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, 03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103 सरकारी कॉलेज और संस्थायें 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 798 कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

कृपया आवंटित राशि का व्यय अन्य किसी मद में नही किया जावें एवं सामग्री क्रय करते समय छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों एवं वित्तीय नियमों का पालन करना भी सुनिश्चित किया जावें। भण्डार क्रय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही प्राचार्य की होगी।
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
नवा रायपुर, दिनांक 19/04/2022

पृ.क्रमांक 18/02/आ.उ.शि/बजट/22
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन , रायपुर।
3. सम्बन्धित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2263412 फैक्स – 2263412, Email – highereducation.cg@gmail.com

क्र./ /05/आउशि/बजट/2022 रायपुर दिनांक /07/2022
प्रति,

प्राचार्य
शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
धमतरी जिला– धमतरी (छ.ग.)

विषय :– मांग संख्या–44 आयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आवंटन प्रदाय करने संबंधी ।

—————00—————

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के देयक अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आवंटन प्रदाय किया जाता है–

स.क्र.	अधिकारियों/कर्मचारी का नाम एवं पद	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में
	HEAD 44-2202-03-103-0101-0793	01-015
1.	श्री वेदप्रकाश साहू, सहा.ग्रेड–3	5,56,157/-
	कुल योग :–	5,56,157/-

2. आवंटन का अनिवार्य भुगतान की स्वीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 व शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनिवार्यतः करते हुये संबंधितों के द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण एवं अन्य कहीं से उक्त देयकों के भुगतान प्राप्त न किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त उपरांत नियमानुसार ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या नियम विरुद्ध आहरण/भुगतान किये जाने पर कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी।
3. उक्त आवंटन मांग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202 सामान्य शिक्षा–(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)–सरकारी कालेज और संस्थायें–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)–793– कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय–01–वेतन भत्ते – 015–चिकित्सा प्रतिपूर्ति आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर
रायपुर, दिनांक 15/07/2022

पृ क्रमांक 179/05/आउशि/बजट./2022
प्रतिलिपि:–

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर
2. आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, रायपुर
3. संबंधित कोषालय अधिकारी

...............को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2021-22\Medical Allotment\Medical Allot. Letter 2017-18-19-20-21.docx